

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के लिए आवेदन

सेवा में

जनसूचना अधिकारी

SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE

DELHI - 110007

SRI GURU TEGH BAHADUR  
KHALSA COLLEGE, DELHI-7  
Receipt No. RTI/1326  
26 MAR 2013  
S.O. (Admn.) Accounts/Lib.  
Convener Dept. of.....  
Principal

U. B. Sharma Pro.  
U. S. Sarangi Smt.

आवेदक का नाम व पता :-

मनोज कुमार सपुत्र श्री रामफल सिंधु

मकान नं 1592/21 (पुराना) 1195 D (नया)

गली नं 9, नजदीक हैफेड चौक, प्रेम नगर, रोहतक, 124001

सूचना का विवरण : महाविद्यालय में सभी विभागों/विषयों में Assistant Professor, Associate Professor, Professor के आरक्षण रोस्टर से संबंधित निम्नलिखित सूचना दी जाए:-

1. महाविद्यालय की स्थापना कब की गई तथा महाविद्यालय में उपरोक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति (अजा), एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अपवि) के लिए आरक्षण किस तिथि व वर्ष से लागू किया?  
अ. अगर दोनों तिथियां अलग-अलग हैं तो आरक्षण देरी से लागू होने का कारण सहित विवरण दें तथा संबंधित दस्तावेज प्रदान करें।
2. महाविद्यालय द्वारा आरक्षण रोस्टर किस तरह अपनाया गया है: (उदाहरणार्थ - विभागानुसार इकाई के आधार पर/विषयानुसार या महाविद्यालय एक इकाई के आधार पर लागू किया है) ऐसा किस प्रावधान के तहत किया गया है। संबंधित दस्तावेज प्रदान करें।  
अ. उपरोक्त वर्णित पदों का आरक्षण प्रतिशत क्या है? तथा आरक्षित वर्ग: अजा, अपिव का रोस्टर बिन्दु क्या है? तथा रोस्टर बिन्दु की उपयोगिता उदाहरण सहित स्पष्ट करें।  
ब. क्या महाविद्यालय में सभी नियुक्तियां रोस्टर बिन्दु के हिसाब से हुई हैं। अगर नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया? कारणों सहित विवरण प्रदान करें।  
स. आरक्षण रोस्टर को लागू करने की वैधानिक जिम्मेदारी किस पदाधिकारी की है तथा यदि वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है?
3. महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित पदों में आरक्षण लागू होने की तिथि से आज तक (जिस दिन यह आवेदन प्राप्त हो) निम्न सूचना दी जाए :-  
अ. स्वीकृत स्थायी पद -  
विषयानुसार - अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।  
आरक्षित श्रेणी अनुसार - अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।

ब. विज्ञापित स्थायी पद -

विषयानुसार -अजा एवं अपिव, प्रत्येक का विवरण दें।

आरक्षित श्रेणी अनुसार -अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।

स. भरे गए स्थायी पद -

विषयानुसार -अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।

आरक्षित श्रेणी अनुसार -अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।

द. रिक्त स्थायी पद -

विषयानुसार -अजा एवं अपिव प्रत्येक का विवरण दें।

आरक्षित श्रेणी अनुसार -अजा एवं अपिव का विवरण दें।

उपरोक्त सूचना क्रम संख्या 3 (अ) से 3 (द) तक तदर्थधार ( Adhoc Basic ) पर भी प्रदान की जाए।

3 (क) क्या भरे गये पदों ( स्थाई व तदर्थधार ) पर रोस्टर बिन्दु का पालन किया गया है, यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया। विवरण दें।

3 (ख) क्या महाविद्यालय में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति आरक्षित पद पर नियुक्त है। यदि हाँ तो, क्या ऐसा किस नियम के तहत किया गया है? उस नियम की प्रतिलिपि प्रदान करें।

3 (ग) स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने का क्या कारण है? क्या ऐसा किसी नियम या आदेश के तहत किया जा रहा है? यदि हाँ तो उसकी प्रतिलिपि प्रदान करें।

3 (घ) क्या महाविद्यालय द्वारा खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति बारे कोई प्रयास किया गया है? यदि हाँ तो सूचना विवरण सहित प्रदान करें व उसकी प्रतिलिपि दें।

4. क्या महाविद्यालय में आरक्षण लागू होने की तिथि से आज तक आरक्षित वर्ग के कितने पदों को सामान्य वर्ग के पदों में तब्दील किया गया है, अगर हाँ तो क्यों तथा ऐसा किस प्रावधान एवं नियम के तहत किया गया है? दस्तावेज सहित विवरण प्रदान करें।

अ. ऐसे परिवर्तित पदों को भविष्य में भरने के लिए क्या प्रावधान है एवं इसके तहत क्या कार्यवाही की गई इसकी प्रतिलिपि प्रदान की जाए।

5. कृपया उपरोक्त सूचना को पंजीकृत डाक द्वारा उपरोक्त लिखित आवेदक के पते पर भेजें।

6. मूल्य: 10/- का postal order , क्र.सं. 19F360573 दिनांक 21/03/13 जोकि जनसूचना अधिकारी Sri Gurn Tej Bahadur Khelra पर देय है, संलग्न है।  
College

आवेदक

21/03/13



Phone: 27667469, 27666220(Fax) [khalsasgtb@vsnl.com](mailto:khalsasgtb@vsnl.com), [sgtbkdel@del3.vsnl.net.in](mailto:sgtbkdel@del3.vsnl.net.in)

**SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE**  
**UNIVERSITY OF DELHI**  
**DELHI – 110007**

Ref. No. R.TI/392

Date: 25.04.2013

Mr. Manoj Kumar,  
House No. 1592/21 (Old),  
1195 D (New), Gali No. 9,  
Near Hafed Chowk,  
Prem Nagar, Rohtak-124001.

Dear Sir,


This has reference to your application dated 21.03.2013 which was received at the College on 26.03.2013, seeking information under RTI Act, 2005. The replies to your queries are given here as under:

1. Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College was established in the Year 1951. The reservation Roster for Scheduled Caste in teaching posts was introduced w.e.f. July, 1997.
  - (a) The matter pertains to policies of the Central Government, hence cannot be replied. It is added that being a minority educational institution, SGTB Khalsa College is exempted from OBC reservation.
2. The College is following the subject wise roster.
  - (a) The reservation against the teaching posts is as per the guidelines of Government of India (100 point roster).
  - (b) The appointments against the vacancies have been made as per the approved Roster of vacancies.
  - (c) The duly constituted Governing body makes appointments on the recommendations of Selection Committee. The posts and advertisement notifying the vacancies are to be approved by the University of Delhi.
3. (a) No. of posts sanctioned : 150  
(b) According to approved roster from the University of Delhi the vacant positions in different subjects is given here as under:

Subject	Total No. of vacant posts	Vacant SC posts
English	5	-
Punjabi	1	
Economics	4	
History	1	
Commerce	6	1
Mathematics	1	
Computer Science	1	
Physical Education	2	
Botany	2	
Zoology	3	
Chemistry	7	2

*It is added that being a minority educational institution, SGTB Khalsa College is exempted from OBC reservation*

- (b) No Teaching Vacancies have been advertised
  - (c) The copy of the Roster approved from the University of Delhi has been uploaded on College Website. The same can be downloaded from the College website.
4. (a) The appointments against the vacancies have been made as per the approved Roster of vacancies
    - (b) No general category candidates have been appointed against reserved posts.
    - (c) The appointments against vacant teaching posts have not been made because the matter of grant of Minority Educational Institution status has been challenged and mater is subjudice in High Court, Delhi and therefore no appointments have been made against teaching posts.
    - (d) The matter pertains to the University of Delhi.
  5. No vacant reserved posts have been converted to unreserved posts
    - (a) Not applicable

Yours sincerely,  
  
(H.V. Jhamb)  
PIO